साझा सम्पत्ति संसाधनो (CPRs) का भौगोलिक अध्ययन भादरा तहसील के सन्दर्भ में।

डॉ. श्योपत राम सहारण
सहायक आचार्य कला विभाग
टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

गुरमित सिंह
शोधार्थी, विभाग
टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

प्रस्तावना

साझे सम्पत्ति संसाधन **(CPRs)** ग्रामीण लोगों के लिए सामान्य तौर पर आजीविका के महत्त्वपूर्ण स्त्रोत होते है, विशेष कर ग्रामीण निर्धन लोगों पर तो यह बात और भी अधिक लागू होती हैं। मोटेतौर पर सम्पदा संसाधनो **(CPRs)** में वे सभी संसाधन शामिल होते हैं जो कि ग्रामीणों के साझे उपयोग हेतु उपलब्ध है। इनमें ऐसे सभी संसाधन जैसे गांवो के चारागाह, गांवो के वन, सुरक्षित तथा अवर्गीकृत राजकीय वन, बंजर भूमि, खलिहान, अपवाह तंत्र का जलग्रहण क्षेत्र, जोहड़ एवं तालाब, नदियां, जलाशय, नहर एवं सिंचाई के चैनल इत्यादि शामिल हैं। ब्रिटिश काल से पूर्व देश के प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या को मुक्त रूप से उपलब्ध था। इन संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण के विस्तार तथा इसके फलस्वरूप सामुदायिक प्रबन्धन तंत्र के कमजोर पड़ने से ग्रामीण लोगों को उपलब्ध **CPRs** काफी हद तक कम हो गये। आजकल देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्रामीण लोगों को भूमि तथा जल संसाधन के कुछ विशिष्ट वर्गों तक ही कानूनी रूप से पंहुच है तथापि यह बड़े स्तर पर माना जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या के जीवन एवं अर्थव्यवस्था में ब्व्हे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। श्रवकों (१९८६) ने सर्वप्रथम अर्द्धशुष्क प्रदेशों हेतु **CPRs** पर कार्य किया। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया कि भूमि सुधारों से कौन लाभान्वित होता है तथा किसे हानि होती हैं। उन्होंने तीन प्रमुख परिणाम प्रस्तुत किये —

१. भूमि का निजीकरण अधिकाशत: गांवो के सपन्न लोगों को लाभान्वित करता है जबकि निर्धन लोगों को मिलने वाली भूमि कम होने के साथ—साथ निम्न श्रेणी की होती है।

२. **CPRs** के निजीकरण से आय के प्रमुख स्त्रोत लुप्त हो जाते हैं, तथा

३. आय के ह्रास की दृष्टि से निर्धन लोगों को अधिक हानि होती हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में **CPRs** तथा **CPR** उत्पादों के महत्व को उजागर करते हुए श्रवकों ने बताया कि ग्रामीण निर्धन लोग इनसे ४४५ से ८३० रूपये की आय वार्षिक तौर पर प्राप्त करते हैं जबकि सम्पन्न ग्रामीणों को होने वाली आय केवल ३०० रूप्ये वार्षिक है। उन्होंने बताया कि निर्धन ग्रामीण परिवारों के ८४ से १०० प्रतिशत **CPRs** से ईंधन, चारा, भोजन एवं रेशें इत्यादि प्राप्त करते हैं। जबकि सम्पन्न परिवारों में ऐसा करने वाले १० से २८ प्रतिशत परिवार ही है। श्रवकों का अध्ययन १९८२—८५ की अवधि हेतु केवल पांच राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु तक सीमित था। कई अन्य लोगों ने

वृहत स्तरीय समंको का प्रयोग करते हुए **CPR** भूमियों के आकलन का प्रयास किया है। इनमें **Chopra et al.** (१९९०) का अध्ययन गिनाया जा सकता है। उन्होनें सुझाया कि भू—उपयोग से सम्बन्धित आंकड़ो में से ‘‘वर्तमान परती भूमि से निन्न’’, ‘‘कृषि योग्य बंजर भूमि’’, ‘‘चारागाह’’ ‘‘सुरक्षित तथा अवर्गीकृत वन’’ को मोटेतौर पर **CPRs** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि १९८०—८१ के आंकड़ो के आधार पर देश की २१.५५ प्रतिशत भूमि **CPRs** होगी किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि यह अंदाज कुछ अधिक हो सकता हैं क्योंकि सभी सुरक्षित वन **CPRs** नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्च्त्े भूमियों का विस्तार एवं गुणवत्ता दोनों में लगातार कमी आ रही है। श्रवकीं के निष्कर्षो के विपरीत कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि यद्यपि सापेक्षिक रूप में निर्धन लोग अधिक लाभ लाभान्वित होते हैं तथापि निरपेक्ष रूप में सम्पन्न लोगों को अधिक लाभ मिलता हैं। (Nadkarni et al. 1989; Pasha, 1992; Singhal et al., 1996) । ऐसे भी साक्ष्य है कि CPRs पर प्राय: सम्पन्न लोग कब्जा कर लेते हैं अथवा इनका आंवटन इस प्रकार होता है कि इनसे सम्पन्न लोंगो की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक होती है (Karanth, १९९२)। इसका अर्थ है कि CPRs से होने वाली आय तथा कृषि भूमि के मध्य अन्तर्सम्बन्ध परीक्षण हेतु और अध्ययनों की आवश्यकता हैं।

पश्चिमी बंगाल के गांवो के अपने अध्ययन में Beck(1994) ने ग्रामीण निर्धन लोंगो को उपलब्ध CPRs की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। अपने अध्ययन के गांवो में उन्होंने पाया कि अन्य लोंगो की निजी भूमियों (de facto CPRs) से भूमिहीन लोग बचे—खुचे अनाज के दानों को इकट्‌ठा करते थे तथा इसकी उपलब्धता प्राय: कठिन होती थी। Beck के विश्लेषण ने एक महत्त्वपूर्ण मुद्‌दा उजागर किया, अर्थात्‌ de facto CPRs ऐसे CPRs के उपयोग का बेहतर संकेतक है क्योंकि de Jure CPRs के उपयोग मात्र का अध्ययन हमें CPRs पर निर्भरता के स्तर का underestimate प्रदान कर सकता है। परिभाषा के अनुसार CPRs की de facto उपलब्धता उन भूमियों को भी शामिल करती है जो कि समुदायों को de Jure रूप में उपलब्ध नहीं है। उदाहरणत: राज्य द्वारा नियंत्रित क्षेत्र, जैसे आरक्षित वन, जो कि किसी वर्ग द्वारा वस्तुत: खुले में उपयोग हेतु उपलब्ध है de facto CPRs हो जायेंगे। इसी प्रकार वे निजी कृषि भूमियां जो कि परती भूमि के मौसम में अन्य लोगों को उपलब्ध है de facto CPRs होंगी, उसकी उलट स्थिति भी सम्भव हो सकती है, अर्थात्‌ ग्रामीण समुदायों को उपलब्ध कुछ सार्वजनिक भूमियां प्रभावी रूप से निजीकृत हो सकती हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO, 1990) की एक रिपोर्ट में से CPRs सम्बन्धित आंकड़ो के एकत्रण हेतु दो एकदम भिन्न उपागमों का प्रयोग किया गया। इनमें से de Jure उपागम का प्रयोग CPRs के आकार से सम्बन्धित आंकड़ो के संकलन हेतु किया गया। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं संसाधनों को CPRs माना गया जो कि गांव की सीमा के अन्दर थे तथा जो औपचारिक/विधिक तौर पर गाँवो की पंचायत अथवा समुदाय के अधीन थे। इसी प्रकार de facto उपागम का प्रयोग CPRs के उपयोग से सम्बन्धित जानकारी के संकलन हेतु किया गया। इस उपागम के अन्तर्गत CPRs की अवधारणा का विस्तार करते हुए इसमें ग्राम पंचायत अथवा गांव के समुदायों को प्रदत्त नहीं की गई राजस्व भूमि, वन भूमि अथवा परम्परागत रूप से समुदाय द्वारा उपयोग में लाई गई निजी भूमि जैसे संसाधनों को भी शामिल किया गया। निजी सम्पदा का साझा पयोग कुछ विशिष्ट मौसमों तक ही सीमित हो सकता है जैसे दो फसलों के बीच कृषित भूमि का चारण हेतु उपयोग, मानसून काल में जल में डूबे खेतों का

मत्स्यन हेतु उपयोग इत्यादि। अर्थात वे सभी भूमियां जो कि परम्परा के अनुसार साझे संसाधनों के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, तथा जिनसे ग्रामीणों को लाभ होता है, उन्हें आंकड़ो के एकत्रण हेतु de facto CPRs माना गया। भले ही से CPRs गांव की सीमा से बाहर क्यों ना मौजूद हो।

प्रस्तावित शोध के सोपान

CPRs की उपलब्धता

उपरोक्त de Jure उपागम के आधार पर ग्रामीण भारत में CPRs भूमि की उपलब्धता का आंकलन सारणी २.१ में दिखलाया गया हैं।

तालिका संख्या

ग्रामीण भारत में CPRs भूमि की उपलब्धता

क्र. सं.	मद	अनुमान
1.	सकल भौगोलिक क्षेत्र में CPRs भूमि	15 प्रतिशत
2.	प्रति परिवार उपलब्ध CPRs भूमि (है.)	0.31 प्रतिशत
3.	औसत पारिवारिक आकार	5.04
4.	प्रति व्यक्ति CPRs भूमि (है.)	0.06
5.	CPRs भूमि के संघटक (प्रतिशत)	
6.	(i) सामुदायिक चारागाह	23.00 प्रतिशत
7.	(ii) ग्रामीण वन	16.00 प्रतिशत
8.	(iii) अन्य	61.00 प्रतिशत

स्रोत NSSO, 1998

देश के विभिन्न राज्यों में CPR भूमि की उपलब्धता सारणी 2.2 में दर्शाई गई हैं। प्रति परिवार CPRs भूमि की औसत उपलब्धता में काफी परिवर्तनशीलता पाई जाती है। त्रिपुरा में यह मात्र ०.०१ हैक्टेयर तथा मिजोरम में ४.३७ हैक्टेयर है, पूर्वोत्तर भारत के सभी पहाड़ी राज्यों में यह उपलब्धता उच्च स्तरीय है। केवल त्रिपुरा, मणिपुर एवं सिक्किम इसके अपवाद है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दिया जाये तो प्रति परिवार CPRs भूमि की उपलब्धता राजस्थान में सर्वाधिक थी (2.04 हैक्टेयर) हैं। इसके पश्चात् मध्य प्रदेश (०.७४ हैक्टेयर) तथा गुजरात (०.७२ हैक्टेयर) का स्थान था। जिन राज्यों में CPRs भूमि की उपलब्धता ०.१७ हैक्टेयर से कम थी उनमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, असम, बिहार, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरप्रेदश, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश एवं मणिपुर शामिल थे। पांच राज्यों कर्नाटक, सिक्किम, उड़िसा, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश में CPRs भूमि की उपलब्धता ०.२५ से ०.३३ हैक्टेयर के मध्य थी (मानचित्र २.१) सकल भौगोलिक क्षेत्र में से CPRs भूमि का अनुपात भी काफी परिवर्तनशील है। राजस्थान में जहाँ यह १/३ (३२ प्रतिशत) के निकट है वहीं त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह मात्र १ प्रतिशत है।

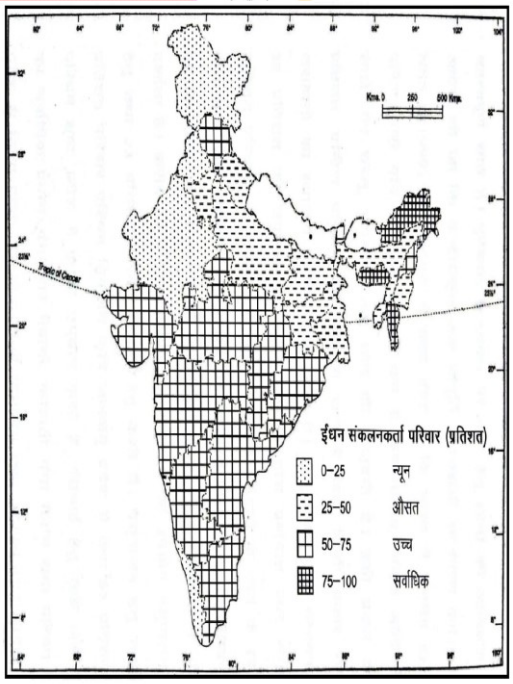

मानचित्र : भारत में CPRs भूमि की उपलब्धता, 1999

विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों के अनुसार CPRs भूमि की उपलब्धता सारणी २.३ में दर्शायी गई है। यदि हम de jure उपागम के अनुसार सकल भौगोलिक क्षेत्र में CPRs भूमि का अनुपात देखें तो सर्वाधिक ३८ प्रतिशत पश्चिमी शुष्क प्रदेश के थार मरूस्थल में दिखाई पड़ती है जबकि निम्न गंगा के मैदान में यह मात्र १ प्रतिशत है।

प्रस्तावित शोध का महत्व

देश के विभिन्न भागों में CPRs भूमि की उपलब्धता असमान है। साथ ही इस भूमि के विभिन्न वर्गो के अनुसार वर्गीकरण में भी परिवर्तनशीलता पाई जाती है। देश के विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में CPRs भूमि का वर्गीकरण दिखलाता है कि अधिकाशं कृषि जलवायु प्रदेशों में ''गांव के खलिहान, अन्य भूमि तथा बंजर भूमि'' जो कि पंचायत अथवा समुदाय के अधीन है, के अन्तर्गत अधिकाशं CPRs भूमि पाई जाती है। पश्चिम शुष्क प्रदेश में इसका प्रतिशत ९५ है। स्थायी चारागाह तथा चारण भूमि के अन्तर्गत सर्वाधिक अनुपात पश्चिम हिमाचल प्रदेश, पश्चिम तटीय मैदान एवं पहाड़ियां तथा मध्यवर्ती पठारी प्रदेश में पाया जाता है। गांव के वनों के अन्तर्गत सर्वाधिक CPRs भूमि का अनुपात मात्र १ प्रतिशत है तथा चारागाह भूमि का अनुपात मात्र ४ प्रतिशत पाया गया। इस प्रकार पश्चिम शुष्क प्रदेश को छोड़कर चारागाहों तथा चारण क्षेत्र के अन्तर्गत CPRs का बड़ा अंश सर्वत्र देखा जाता है। उत्तराखण्ड क्षेत्र में समुदायों द्वारा वन प्रबन्धन ''वन पंचायतों'' द्वारा किया जाता है। उड़िसा में ''ग्राम्य जंगल'' पाये जाते हैं जिन पर ग्रामीणों का ईंधन, चारे तथा अन्य गौण वन उत्पादों को लेकर अधिकार पाया जाता हैं (सारणी २.४)।

तालिका संख्या २.४
CPRs भूमि का संघटक वर्गों के अनुसार वितरण (प्रतिशत)

क्र. सं.	कृषि जलवायु प्रदेश	स्थायी चारागाह तथा चारण भूमि	ग्रामीण वन	खलिहान एवं बंजर भूमि
१	पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी	२०	७	७३
२	पश्चिम तटीय मैदान एवं पहाड़ी	३८	१३	५०
३	पूर्वी हिमालय एवं ब्रह्मपुत्र घाटी	२२	५०	२८
४	दक्षिण पठार एवं पहाड़ियां	२८	११	६१
५	पश्चिम पठार एवं पहाड़ियां	३१	२४	४५
६	पूर्वी पठार एवं पहाड़ियां	३०	२७	४५
७	पश्चिम हिमालय	४३	३१	२७
८	मध्यवर्ती पठार एवं पहाड़ियां	३४	१८	४६
९	गुजरात तटीय मैदान व पहाड़ियां	२८	०४	६८
१०	पश्चिम शुष्क प्रदेश	०४	०१	९५
	भारत	२३	१६	६१

स्त्रोत NSSO, 1999

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

देश के विभिन्न भागों में किये गये अध्ययन दर्शाते हैं कि CPRs भूमि के क्षेत्रफल में तेजी से ह्रास हो रहा है। साथ ही उनकी उत्पादकता भी तेजी से कम हो रही है। CPRs भूमियों के de jure क्षेत्र में पिछले पांच वर्षो के अध्ययन के आधार पर आई कमी के अनुसार वर्गीकरण विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों के परिप्रेक्ष्य में NSSO (१९९९) के द्वारा किया गया। अध्ययन के इन पांच वर्षो में ग्रामीण भारत में CPRs भूमि में १.९ प्रतिशत भूमि का ह्रास दर्ज किया गया। सर्वाधिक सघन बसे गंगा के मैदानों में CPRs के ह्रास की दर सर्वाधिक पाई गई। यहाँ पहले से ही प्रति परिवार उपलब्ध CPR भूमि बहुत कम है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में उन पांच वर्षो में CPR ह्रास की दर ७.२ प्रतिशत तथा गंगा के मैदानों में ७.१ प्रतिशत रही।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Berkes, Fikret (1998) : Diversity of Common Property Resource Use and Diversity of Social Interests in the Western India. International Mountain Society, Feb., 18(1): 19-33.
2. Bon, Emmanuel (2000) :Common Property : Two Case Studies, Eco. & Pol. Weekly, July 15-21, 35(28-29): 2569-2573.
3. Bonks, Tony et al. (2003):Community Based Grassland Management in Western China. Mountain Research and Development. May 23(2): 132-140.
4. Francis, Elizabeth (2000):Rural Livelihoods, Institutions and Vulnerability in North West Province, South Africa. J. Southern African Studies,Taylor & Francis Ltd., 28(3).
5. Grafton, R. Quentin (2000): Governance of the Commons : A Role for the State. Land Economics, Nov., 76(4): 504-517.
6. Hegde, R. et al. (1996) : Extraction of Non-Timber Forest Products in the Forests of Biligiri Rangan Hills, India. Economic Botany, Sep., 50(3), 243-251.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com